कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव

निविदा – सूचना

नगर पालिका परिषद, उन्नाव को अटल मिशन फॉर रिजुवैशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (**AMRUT**) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क एवं ग्रीन स्पेस योजना हेतु प्राप्त धनराशि से पालिका सीमान्तर्गत वार्ड सं0 28 मो0 शाहगंज स्थित पन्नालाल पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु पालिका में वर्ष 2017–18 में पंजीकृत तथा उत्तर प्रदेश के किसी भी राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु ठेकेदारों/फर्मों से मोहरबन्द निविदायें टेक्निकल/फाइनेनशियल आमंत्रित की जाती हैं। शासनादेश के अनुसार ठेकेदार को शपथपत्र देना होगा। निविदा प्रपत्र कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव/कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव/कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा) (प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय), उन्नाव से दिनांक 08-05-17, समय सांय 02:00 बजे तक निर्धारित शुल्क एवं पंजीकृत प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त निविदायें दिनांक 11-05-17...... को समय 02:00 दिन तक अपर जिलाधिकारी कार्यालय (प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय) कल्क्ट्रेट उन्नाव मे डाली जायेंगी तथा उसी दिन सम्बन्धित अधिकारियों एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष सांय 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी। जिसमें टेक्निकल बिडनिविदा के साथ 02 (दो) प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/ सी0टी0डी0आर0 / टी0डी0आर0/ एन0एस0सी0/ जमा पुष्टि रसीद जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उन्नाव के पक्ष में बन्धक हो मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। शेष 08 (आठ) प्रतिशत धरोहर धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त जमा करना होगा। किसी भी निविदा के साथ धरोहर धनराशि के प्रमाण पत्रों (रसीदों की छायाप्रति) को संलग्न करने अथवा नम्बरों को दर्ज करने पर सम्बन्धित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं कोई भी निविदा सशर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये। अमृत योजनान्तर्गत दिये निर्देशों के अनुरूप टेण्डर प्रक्रिया में **4** अलग–अलग सीलबन्ध लिफाफों का प्रयोग किया जायेगा। जिसके लिफाफे 'ए' का प्रयोग धरोहर धनराशि के लिए लिफाफा 'बी' का प्रयोग तकनीकी निविदा के लिए, लिफाफा 'सी' का प्रयोग वित्तीय निविदा के लिए होगा तथा लिफाफा ए0बी0सी0 एक बड़े लिफाफे "डी" में रखकर निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय लिफाफा सीलबन्द करके निविदा बाक्स में डाला जायेगा। तकनीकी निविदा के परीक्षोपरान्त पात्र निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी की जानकारी पालिका कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदार/फर्म द्वारा पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य तैयार किये गये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (**DPR**) के अनुसार किया जाना है, तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगा। विस्तृत विवरण नगर पालिका परिषद, उन्नाव के वेबसाइट **http:www.unnaonpp.in** पर भी उपलब्ध है।

क्र0 सं0	कार्य योजना का नाम	स्वीकृत योजना लागत		धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	5 प्रतिशत व्यापार कर	व्यापार कर सहित निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
		योजना	O&M						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अमृत योजना अन्तर्गत वार्ड सं0 28, शाहगंज, उन्नाव में पन्नालाल पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	3192457.00	433900.00	72527.00	3989.00 (3626+363)	199.00	4188.00	दो माह	A
		कुल योग– 3626357.00							

नियम व शर्तें

1– कार्ययोजना के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त घटक जैसे:

(i) सिविल वर्क
(ii) होर्टिकल्चर एवं लैण्डसकेपिंग
(iii) चाईल्ड प्ले एरिया डेवलपमेट
(iv) बेन्च पार्क, डस्टबिन
(v) सोलर लाईट/हाई मास्ट एवं स्ट्रीट पार्क लाइटिंग
(vi) फाउन्टेन आदि

2– फाइनेन्शियल/कामर्शियल बिड

1– उक्त निविदा शासन द्वारा स्वीकृति उपरान्त 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने एवं निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किये जाने के बाद ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। राज्य के अन्य विभाग में पंजीकृत ठेकेदार की निविदा न्यूनतम होने की दशा में उस निविदादाता को पालिका में पंजीकरण कराने के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। अन्यथा कार्य स्वतः समाप्त माना जायेगा।

2– कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव एवं कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा) (प्रभारी स्थानीय निकाय) के कक्ष में निर्धारित मूल्य देकर क्रय किये गये टेण्डर फार्म पर ही सभी निविदायें मान्य होंगी।

3– निविदा के साथ जिलाधिकरी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (निर्धारित समयावधि के अन्दर का हो) एवं किसी सरकारी विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के साथ–साथ व्यापार कर, आयकर प्रमाण पत्र एवं श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

4– निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य किसी संस्था से टेण्डर कार्य हेतु काली सूचीबद्ध नही किया गया है।

3– टेक्निकल बिड

5– निविदादाता को उक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य विभागों से कराये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र व कार्यादेश की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

6– निविदादाता के उपरोक्त परियोजना से सम्बन्धित रू0 25.00 लाख तक का कार्य विगत वर्षों में करायें जाने सें सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

7– निविदादाता को गत वर्ष की बैलेंसशीट जो चार्टेड एकाउन्टेन्ट/बैंक द्वारा निर्गत की गयी हो संलग्न करना होगा।

8– **ISO-9001-2000** का प्रमाण पत्र रखने वाली फर्मों/कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।

9– निविदादाताओं को 3–5 वर्षों का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

10– निविदादाता को अपनी फर्म में कार्य करने वाले सामान्य एवं तकनीकी स्टाफ का विवरण शैक्षित योग्यता सहिक तथा तकनीकी उपकरणों से सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रतियां निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

11– निविदादाता को उनके विभागों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा, जिससे उसने निविदा के आधार पर पार्क निर्माण/रख–रखाव संम्बन्धी कार्य किया हो।

4– सामान्य शर्तें

12– अनुरक्षण की अवधि 5 वर्ष की होगी, जिसमें यदि ठेकेदार/फर्म कार्य में आयी कमियों को तीन दिवस के अन्दर ठीक नहीं करता है तो उस पर अर्थ दण्ड के रूप में कटौती ओ0 एण्ड एम0 की लागत से कर ली जायेगी। जिसमें जमानत धनराशि रख–रखाव अवधि बीतने के पश्चात रिलीज की जायेगी।

13– कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करना होगा। समय से कार्य पूर्ण न होने पर नियमानुसार अवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

14– पार्कों के सौन्दर्यीकरण के पश्चात आगामी 5 वर्षों तक पार्कों के रख–रखाव का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जाना होगा। जिसके अनुरक्षण का भुगतान पूर्णतयः संतोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार किया जायेगा। कमी पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी का यह अधिकारी होगा कि उस फर्म की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाये।

15– निविदा स्वीकृति की सूचना राज्य स्तर पर गठित तकनीकी समिति की स्वीकृति मिलने के उपरान्त दी जायेगी, स्वीकृतोपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

16– कार्यादेश जारी हाने पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अमृत मिशन योजनान्तर्गत दिये गये विशिष्टियों व मानक के अनुसार ही ठेकेदार/फर्म को कार्य पूर्ण करना होगा।

17– ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के आधार पर कराये गये निर्माण में यदि किसी प्रकार की कमी जांच के समय पायी जाती है तो ठेकेदार/फर्म स्वयं उत्तरदयी होंगे एवं भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

18– निविदादाता निविदा के साथ रू0 100/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र तथा रू0 100/– के स्टाम्प पर रू0 1/– का रसीद टिकट चस्पा कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

19– अमृत योजनान्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत के सापेक्ष शासन/निदेशालय द्वारा समय–समय पर अवमुक्त धनराशि प्राप्त होने पर ही किये गये कार्यों का भुगतान नियमानुसार किया जायेग।

20– उपराक्त कार्यों हेतु प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम निविदा की स्वीकृत शासन स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त अन्य निविदाओं में संलग्न दो प्रतिशत धनराशि को वापस किया जायेगा।

21– सी0सी0 कार्य में निविदादाता को वाइबरेटर चलाना अनिवार्य होगा।

22– निविदादाता को अनुभवी एवं तकनीकी स्टाफ रखना अनिवार्य होगा।

23– कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद उन्नाव में किसी भी कार्य दिवस/अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

(नरेन्द्र मोहन मिश्रा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।
पत्रांक : 93(117) /अभि0वि0/2017-18/201

(रामचन्द्र)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।
दिनांक : 22-4-2017

प्रतिलिपि :

1) जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2) कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3) अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4) कार्यालय प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5) कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव के नोटिस बोर्ड व वेबसाइट पर चस्पा हेतु।
6) एन0आई0सी0, उन्नाव के वेबसाइट पर चस्पा हेतु (सी0डी0 सहित)।
7) सम्पादक, दैनिक आज/दैनिक हिन्दुस्तान/दैनिक अमर उजाला, उन्नाव को सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।